

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए  
टैरिफ नीति

1992. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व में बदलते व्यापार परिदृश्य के मद्देनजर टैरिफ संबंधी नीति के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान से माल के आयात—निर्यात के लिए कोई विशेष प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) भारत की टैरिफ नीति का उद्देश्य व्यापार को विनियमित करना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं पर करों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना है। हाल के सुधारों में टैरिफ संरचना को सुव्यवस्थित करने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है और इसने दिए गए कमोडिटी लाइन पर लागू किए जा सकने वाले अपने अधिकतम टैरिफ को निर्धारित किया है। लागू किए गए टैरिफ आम तौर पर किसी दिए गए कमोडिटी लाइन के लिए निर्धारित टैरिफ से कम होते हैं।

बदलते व्यापार परिदृश्य के साथ, भारत तरजीही/मुक्त व्यापार समझौतों की ओर बढ़ रहा है, जिसमें पीटीए/एफटीए सदस्यों के बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त किया जाता है। वर्तमान में, भारत यूरोपीय संघ, यूके और ओमान के साथ वार्ता के अलावा 13 एफटीए और 9 पीटीए का सदस्य है।

(ग) निर्यात और आयात तथा निर्यात संवर्धन स्कीमों से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति 2023 (एफटीपी) के अंतर्गत शामिल की गई है, जो राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों पर बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक रूप से लागू होती है।

\*\*\*\*\*